

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:-एफ 9(5) (12-ii) पेंशन नियम/सा.न्या.अ.वि./2014-15 | 673

दिनांक:- 24/2/2021

आदेश

सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2013 के अनुसार पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन माह नवम्बर एवं दिसम्बर में करवाए जाने का प्रावधान है। तदनुसार पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 31.12.2020 तक किया जाना था, जिसकी अवधि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, परन्तु कोविड-19 के प्रभाव के कारण पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई जाती है।

(ओ.पी. बुनकर, IAS)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 9(5) (12-ii) पेंशन नियम/सा.न्या.अ.वि./2014-15 | 674 - 723 दिनांक:- 24/2/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर को भेजकर निवेदन है कि पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु संबधितों को निर्देशित करने का श्रम करें।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, (I.T) मुख्यावास।
7. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।

(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)